

विशेष वास्तु (R)

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत**

Ph. No. 05966-220679

Fax No. 05966-220679

E-mail – eepdrani@yahoo.com

पत्रांक 2886 / 36सी.

दिनांक रानीखेत 20/12/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा में देघाट चिन्तोली मोटर मार्ग के कि०मी० 13.00 के नगरकोटिया-कोठा गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.495 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (कलिन नं०. FP/UK/ROAD/9043/2015)

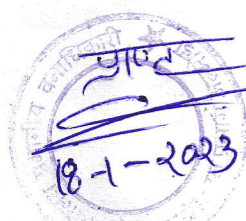
सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/154/2015/812 दिनांक 12.09.2022 एवं आपका पृष्ठांकन आर-3197/12-1(2) दिनांक 20.09.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषय पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि पत्र में लगायी गयी आपत्ति का निराकरण/विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1.	प्रस्तावित समरेखण ग्राम 'Kotha' को जोड़ने का सही समरेखण प्रतीत नहीं होता है। प्रस्तावित समरेखण 'Manra Bakhal', 'Dotiyal Bakhal' & 'Kanyal Bakhal' को भी नहीं जोड़ पा रहा है। अतः लाभान्वित ग्राम 'Kotha' को अन्य समरेखण द्वारा मौजूदा मार्ग 'देघाट चिन्तोली' से दांयी ओर नीचे की तरफ से जोड़ा जा सकता है, जहां पर वर्तमान मार्ग भी के०एम०एल० पर प्रदर्शित हो रहा है। राज्य सरकार के अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नया समरेखण पर विचार करने का कष्ट करें क्योंकि इस नये समरेखण द्वारा वृक्षों के पातन को भी कम किया जा सकता है।	प्रस्तावित समरेखण ग्रामवासियों की सहमति से शासनादेश के (नगरकोटिया से कोठा गांव तक) अनुसार ही गठित किया गया था तदनुसार ही वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रपत्र गठित किये गये थे। प्रस्तावित समरेखण नगरकोटिया गांव से डोटियाल बाखल होते हुए कोठा गांव तक जाता है। तीनों ग्राम/बाखल इस समरेखण से जुड़ रहे हैं। उक्त के अतिरिक्त आपत्ति में लिखे गये 'Manral Bakhal' व 'Kanyal Bakhal' इस समरेखण से जोड़े जाने प्रस्तावित नहीं है।

संलग्न :- लाभान्वित ग्रामों के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र।



अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।